

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 17 मार्च, 2020
विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा
विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।
महोदय,

आप अवगत हैं कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सृजित एक आनलाइन प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल है, जिस पर शासकीय विभागों की आपूर्ति हेतु क्रय पारदर्शी तरीके से आनलाइन किया जाता है। राज्य में जेम प्रणाली के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पास है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा जेम पोर्टल की व्यवस्था को अंगीकृत करते हुये राज्य में शासकीय आपूर्ति हेतु समस्त सामग्री/सेवायें जेम के माध्यम क्रय किया जाना अनिवार्य किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि आउटसोर्सिंग के प्रकरणों में जेम के माध्यम से की जा रही प्रक्रिया में तकनीकी अर्हतायें प्राप्त किये गये बिडर्स की एक से अधिक बराबर (Equal) न्यूनतम बिड प्राप्त होने पर उपलब्ध न्यूनतम बिडों में से चयन बिना किसी आधार के स्वेच्छा से विभागों द्वारा किया जा रहा है। इससे जेम पोर्टल पर क्रय/आपूर्ति की पारदर्शिता का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। सेवाओं को जेम के माध्यम प्राप्त करने की प्रक्रिया में यदि एक से अधिक एक जैसी बराबर न्यूनतम बिड प्राप्त होती हैं तो इस स्थिति में जेम पर उपलब्ध साफ्टवेयर के माध्यम से लाटरी व्यवस्था से न्यूनतम बिड का चयन किया जाना चाहिये।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित अधिकारियों को जेम पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के प्रकरणों में उक्त प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2020/148(1)/18-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।